दिनांक 15.01.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम द्वारा गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूला

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के द्वारा सभी जोन आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही नियमित रुप से करते रहें। श्री सुंदरानी के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य अमला वार्ड 12 कान्ट्रेक्टर कालोनी रामनगर स्थित पंजाब बार में पहुंची जहां पर शिकायत मिली थी कि उक्त बार द्वारा पीछे साईड स्थित नाले में बार से निकली हुई गंदगी डाल दी जाती है जिससे नहर पुरा जाम हो गया है और वहां से बदबु भी आ रही है।

उक्त स्थल का निरीक्षण करने स्वास्थ्य अधिकारी आई0एल0 यादव, स्वच्छता निरीक्षक व्ही0के0 सेमुवल, बालकृष्ण नायडू एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गये जहां पर पाया गया कि नहर में बार का कुड़ा कचरा डाल दिया गया है जिससे नहर पुरा जाम हो गया है और बदबु भी आ रही है। जिसपर बार के संचालक को श्री यादव द्वारा फटकार लगाते हुए गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाकर समझाईस भी दी गई कि गंदगी न फैलायें और ऐसा करते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

जनसम्पर्क अधिकारी